

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-16/2016-34 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/ बक्सर /रोहतास/कैमूर (भमुआ)/गया/जहानाबाद /अरवल/नवादा/औरंगाबाद / सारण /सिवान/गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/प० चम्पारण/ सीतामढ़ी / शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/ जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ पूर्णियाँ/ किशनगंज/ अररिया / कटिहार/खगड़िया।

विषय : वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3.40 करोड़ रु० (तीन करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹2,04,00,000 (दो करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3119 दिनांक-18.07.2016 द्वारा वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रु० तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रु० कुल 170.00 करोड़ रु० (एक अरब सत्तर करोड़ रु०) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल राज्य योजना से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3.40 करोड़ रु० (तीन करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹2,04,00,000 (दो करोड़ चार लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹2,04,00,000 (दो करोड़ चार लाख रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0147-बाढ़-सुखाड़ की अपातकालीन योजना विपत्र कोड-P2401007960147, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

6. मुख्य सचिव बिहार, पटना के निदेशानुसार जिन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आवंटित किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्णरूपेण समर्पित नहीं किया गया है। उन्हें राशि उपआवंटित नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

34(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रेषित।

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

34(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

34(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 18-07-2016

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

वर्ष 2016-17 में अनियमित मानसून/बाढ़/सुखे जैसी अपातकलीन स्थिति उत्पन्न होने के अंतर्गत सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत राशि का विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3119 दिनांक-18.07.2016 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुकों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007960147 (राशि रुपये में)

| क्रम सं. | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी       | स्वीकृत राशि | आवंटित राशि |
|----------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 1        | 2                                | 3            | 4           |
| 1        | कृषि निदेशक, बिहार, पटना।        | 48,57,000    | 29,14,200   |
| 2        | जिला पदाधिकारी, पटना।            | 10,17,000    | 6,10,200    |
| 3        | जिला पदाधिकारी, नालन्दा।         | 10,23,000    | 6,13,800    |
| 4        | जिला पदाधिकारी, भोजपुर।          | 9,07,000     | 5,44,200    |
| 5        | जिला पदाधिकारी, बक्सर।           | 7,69,000     | 4,61,400    |
| 6        | जिला पदाधिकारी, रोहतास।          | 14,50,000    | 8,70,000    |
| 7        | जिला पदाधिकारी, भभुआ।            | 8,22,000     | 4,93,200    |
| 8        | जिला पदाधिकारी, गया।             | 10,90,000    | 6,54,000    |
| 9        | जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।        | 3,76,000     | 2,25,600    |
| 10       | जिला पदाधिकारी, अरवल।            | 2,87,000     | 1,72,200    |
| 11       | जिला पदाधिकारी, नवादा।           | 6,31,000     | 3,78,600    |
| 12       | जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।        | 11,06,000    | 6,63,600    |
| 13       | जिला पदाधिकारी, सारण।            | 9,94,000     | 5,96,400    |
| 14       | जिला पदाधिकारी, सिवान।           | 9,45,000     | 5,67,000    |
| 15       | जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।        | 8,59,000     | 5,15,400    |
| 16       | जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।      | 12,31,000    | 7,38,600    |
| 17       | जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।  | 13,99,000    | 8,39,400    |
| 18       | जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण। | 10,73,000    | 6,43,800    |
| 19       | जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।        | 7,25,000     | 4,35,000    |
| 20       | जिला पदाधिकारी, शिवहर।           | 1,92,000     | 1,15,200    |
| 21       | जिला पदाधिकारी, वैशाली।          | 6,46,000     | 3,87,600    |
| 22       | जिला पदाधिकारी, दरभंगा।          | 7,84,000     | 4,70,400    |
| 23       | जिला पदाधिकारी, मधुबनी।          | 10,67,000    | 6,40,200    |
| 24       | जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर।       | 8,88,000     | 5,32,800    |
| 25       | जिला पदाधिकारी, बेगुसराय।        | 7,25,000     | 4,35,000    |
| 26       | जिला पदाधिकारी, मुंगेर।          | 3,18,000     | 1,90,800    |
| 27       | जिला पदाधिकारी, लखीसराय।         | 3,30,000     | 1,98,000    |
| 28       | जिला पदाधिकारी, शेखपूरा।         | 2,39,000     | 1,43,400    |
| 29       | जिला पदाधिकारी, जमुई।            | 4,22,000     | 2,53,200    |
| 30       | जिला पदाधिकारी, भागलपुर।         | 6,97,000     | 4,18,200    |
| 31       | जिला पदाधिकारी, बाँका।           | 6,79,000     | 4,07,400    |
| 32       | जिला पदाधिकारी, सहरसा।           | 6,48,000     | 3,88,800    |
| 33       | जिला पदाधिकारी, सुपौल।           | 7,41,000     | 4,44,600    |
| 34       | जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।         | 6,58,000     | 3,94,800    |
| 35       | जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ।       | 8,78,000     | 5,26,800    |
| 36       | जिला पदाधिकारी, किशनगंज।         | 5,73,000     | 3,43,800    |
| 37       | जिला पदाधिकारी, अररिया।          | 7,81,000     | 4,68,600    |
| 38       | जिला पदाधिकारी, कटिहार।          | 6,82,000     | 4,09,200    |
| 39       | जिला पदाधिकारी, खगड़िया।         | 4,91,000     | 2,94,600    |
|          | कुल                              | 3,40,00,000  | 2,04,00,000 |

कुल- (दो करोड़ चार लाख रूप) मात्र।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।